

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1304/179/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	तारामती एजुकेशन सोसायटी, भोपाल
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	विद्यादायिनी इस्टी0 आफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी भोपाल
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	नवीन पाठ्यक्रम -एम0काम0- पूर्वाह्न, एल0एल0एम0 पूर्वाह्न, बी.एस.सी.-प्रथम वर्ष (भौतिक, गणित, रसायनशास्त्र), बी0एससी0- प्रथम वर्ष (क्लीनीकल न्युट्रीशियन्स एण्ड डाइट्स), बी0ए0-ऑनर्स प्रथम वर्ष -मनोविज्ञान
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0एलएलबी-चतुर्थ वर्ष
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता /17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, सदस्यों के हस्ताक्षर की अभिप्रमाणित अद्यतन रजिस्ट्रार से अनुमोदित वैध सूची, गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक संबंधी जानकारी/अभिलेख अप्राप्त रहे हैं। कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है, कार्यालयीन पत्र दिनांक 14/02/2017 चाहे अनुसार संस्था द्वारा कमी/पूर्ति संबंधी जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

//2//

6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	1. निरन्तरता के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विधि में कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है। 2. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं होने तथा अग्रणी महाविद्यालय के प्रमाण-पत्र अनुसार प्रवेश 50 प्रतिशत से कम होने से नवीन पाठ्यक्रम अमान्य योग्य है।	
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	1. निरन्तरता के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विधि में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है। अतः निरन्तरता पाठ्यक्रम अमान्य। 2. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं होने तथा अग्रणी महाविद्यालय के प्रमाण-पत्र अनुसार प्रवेश 50 प्रतिशत से कम होने से नवीन पाठ्यक्रम अमान्य।	
8	<b>द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	- निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	नवीन पाठ्यक्रम -एम0काम0- पूर्वाह्न, एल0एल0एम0 पूर्वाह्न, बी.एस.सी.-प्रथम वर्ष (भौतिक, गणित, रसायनशास्त्र), बी0एससी0-प्रथम वर्ष (क्लीनिकल न्यूट्रीशियन्स एण्ड डाईट्स), बी0ए0-ऑनर्स प्रथम वर्ष -मनोविज्ञान निरन्तरता पाठ्यक्रम बी0ए0एलएलबी- चतुर्थ वर्ष

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

आशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1305/179/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

---की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1306 /542/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

संरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	ग्रामोद्धार विकास समिति, आठनेर (बेतूल)
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	महात्मा गांधी महाविद्यालय, आठनेर (बेतूल)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी.बी.ए.-तृतीय वर्ष
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं है, तथा बी.बी.ए. पाठ्यक्रम से संबंधित शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं है, केवल चयन समिति गठित है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	निरन्तरता के पाठ्यक्रम बी.बी.ए. में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है।


//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	निरन्तरता के पाठ्यक्रम बी.बी.ए. में कॉलेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम - निरंक -
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम बी.बी.ए.-तृतीय वर्ष

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 307/542/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

---की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1308/611/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	तपश्री सेवा शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, चिचोली (बैतूल)
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	श्री बालाजी महाविद्यालय, चिचोली (बैतूल)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय (भौतिक, गणित, रसायन) अतिवि0 बाटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बी0ए0-तृतीय (राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र) अतिरिक्त विषय भूगोल, बी0काम0-तृतीय वर्ष
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	शुल्क राशि रूपये 81,000 कम जमा किया गया है। कॉलेज कोड 28 में नियुक्ति की जानकारी, संस्था का अंकेक्षित आय-व्यय पत्रक, ऑन-लाईन प्रवेशित छात्र-संख्या, छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क का विवरण, यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, बैंक के माध्यम से वेतन के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, ई.पी.एफ. कटौती पत्रक संबंधी जानकारी/अभिलेख कार्यालयीन पत्र दिनांक 20/02/2017 द्वारा चाहे अनुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। समिति की वैधता/कार्यकाल दिनांक 09/08/2016 को समाप्त हो चुका है।


//2//

6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	संस्था द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल पोर्टल पर पूर्वपत्र दिनांक 15/03/2017 लोड किया है। प्रकरण अमान्य करने के कारण यथावत् है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	संस्था द्वारा कमी/पूर्ति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। महाविद्यालय सत्र 2015-16 से संचालित है, कॉलेज कोड 28 में विगत तीन वर्षों में संस्था द्वारा एक भी नियुक्ति नहीं की गई है, अतः निरन्तरता पाठ्यक्रम अमान्य।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम - निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम बी0एससी0-तृतीय (भौतिक, गणित, रसायन) अतिवि0 बाटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बी0ए0-तृतीय (राजनीति, समाज, अर्थशास्त्र) अतिरिक्त विषय भूगोल, बी0काम0-तृतीय वर्ष

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1309/611/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1310/68/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

संख्या क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	मौ. दयालू शिक्षण एवं जन कल्याण न्यास, पचौर (राजगढ़)
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	प्रज्ञा सागर महाविद्यालय, पचौर (राजगढ़)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	एम0एससी0 पूर्वाह्न -कम्प्युटर साइंस एम0एससी0 पूर्वाह्न -माइक्रोबायोलॉजी, एम0ए0 पूर्वाह्न में अंग्रेजी।
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 574/369/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हैं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कॉलेज कोड 28 में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हैं।


//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कॉलेज कोड 28 में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हैं।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम - निरंक -
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम एम0एससी0 पूर्वाह्न -कम्प्युटर साइंस एम0एससी0 पूर्वाह्न -माइक्रोबायोलॉजी, एम0ए0 पूर्वाह्न में अंग्रेजी।

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 31/68/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.



**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1312/280/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कॉमिन्जो एजुकेशनल सामाजिक लोक कल्याण समिति, इन्दौर
2	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय का नाम	ट्रेलही कॉलेज, ग्राम रिछाड़िया, देवन खेड़ी रोड, कन्नोद रोड, आष्टा, सीहोर (म.प्र.)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.ए.-ऑनर्स - प्रथम वर्ष, बी.कॉम.-ऑनर्स - प्रथम वर्ष बी.ए.-प्लेन प्रथम वर्ष (हिन्दी, राजनीति, समाजशास्त्र), बी.एससी. - प्रथम वर्ष (वनस्पति, रसायन, प्राणीशास्त्र) बी.एससी. - प्रथम वर्ष (भौतिक, गणित, रसायन)
4	आदेश क्रमांक - 584/378/ आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	1. मार्गदर्शिका की कंडिका 2.1.5(क) के तहत प्राचार्य एवं कलेक्टर का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं है। 2. अग्रणी महा0 के निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित नवीन महा0 का भवन निर्माणाधीन बताया गया है। 3. निरीक्षण प्रतिवेदन में 20 किमी. की परिधि में शासकीय व अशासकीय महा0 संचालित बताये गये हैं। 4. शुल्क 60,000/- कम जमा है। 5. धारा 21 का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। 6. ग्रामीण क्षेत्र में महा0 संचालन के लिए भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत का उहराव प्रस्ताव संलग्न नहीं है। 7. आवेदित विषयों की विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना नहीं हैं।


// 2 //

5	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	पुनः निरीक्षण कराने के उपरान्त अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, सीहोर द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि प्रस्तावित महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रस्तावित महाविद्यालय स्थल से 20 किलोमीटर की परिधि में 03 अशासकीय महाविद्यालयों (राजश्री, एम0जी0, ग्रीन फील्ड) में बी0ए0, बी0एस0सी0 के पाठ्यक्रम संचालित हैं। अतः नवीन महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रकरण अमान्य।	
6	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	प्रस्तावित महाविद्यालय की 20 किलोमीटर की परिधि में बी.ए.-ऑनर्स तथा बी.कॉम.-ऑनर्स पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने से मान्य, शेष आवेदित पाठ्यक्रम 20 किलोमीटर की परिधि में संचालित होने से अमान्य।	
7	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित पाठ्यक्रमों अनापत्ति जारी किया जाता है।	अग्रलिखित के लिये प्रमाण-पत्र मान्य पाठ्यक्रम	बी.ए.-ऑनर्स - प्रथम वर्ष, बी.कॉम.-ऑनर्स - प्रथम वर्ष
	आवेदित पाठ्यक्रमों अनापत्ति जारी नहीं किया जाता है।	अग्रलिखित के लिये प्रमाण-पत्र अमान्य पाठ्यक्रम	बी.ए.-प्लेन प्रथम वर्ष (हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र), बी.एससी.-प्रथम-वर्ष(वनस्पति, रसायन, प्राणीशा.) बी.एससी.-प्रथम वर्ष-(भौतिक, गणित, रसायन)

4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1313/280/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

---की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1314/286/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध संस्थाओं/समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नवीन अशासकीय महाविद्यालय खोले जाने तथा उनमें नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	दीप दलितोद्धार संस्कार केन्द्र, भैसदेही, जिला-बैतूल
2	प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय का नाम	गुलाबचंद घीडोडे कॉलेज ऑफ साईंस एण्ड प्रोफेशनल आर्ट्स भैसदेही जिला- बैतूल (म.प्र.)
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी.एससी. रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र (अति.विषय माइक्रोबायोलॉजी, बायोटैक, गणित, भौतिकशास्त्र कम्प्यूटर साईंस), बी.एससी.रसायन, प्राणीशास्त्र, फूड एण्ड न्यूट्रिशियन, बी.एचएससी.रसायन, प्राणीशास्त्र, फूड एण्ड न्यूट्रिशियन, बी.सी.ए.
4	आदेश क्रमांक - 584/378/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	अग्रणी महा0 के अभिमत अनुसार प्रस्तावित नवीन महा0 में लीज डीड के अनुसार उल्लेखित कक्ष एवं शौचालय नहीं है, अतः नवीन महा0/विषय प्रारंभ किये जाने की अनुशांसा नहीं की गई है।

// 2 //

5	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	संस्था द्वारा भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा प्रमाण-पत्र दिनांक 15/01/2015 तथा भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 10/12/2016 का पुनः प्रस्तुत किया गया है, जबकि संस्था द्वारा पूर्व में भी यह भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र आन-लाईन मुख्य आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा चुका था। इन अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त ही अग्रणी शासकीय महाविद्यालय द्वारा दिनांक 15/02/2017 को निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। अतः संस्था द्वारा प्रथम रिव्यू में प्रस्तुत अभिलेखों पर पूर्व में ही विचार कर लिया जाने से पुनर्विचार का कोई आधार नहीं होने से नवीन महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रकरण अमान्य।
6	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	पुनः निरीक्षण कराया गया, प्रतिवेदन अनुसार नवीन प्रस्तावित महाविद्यालय में 9600 वर्गफीट में कक्षाओं हेतु 09 कक्ष एवं 01 बड़ा हॉल नवनिर्मित है। कक्षाओं में फर्नीचर भी है। पुस्तकें, प्रयोगशाला उपकरण एवं कम्प्यूटर अनुमति प्राप्त होने पर कय करने हेतु पत्र समिति द्वारा दिया गया है। संस्कार उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय का पृथक भवन है, जिसमें 10 कमरे हैं। प्रस्तावित महाविद्यालय की 20 किलोमीटर की परिधि में बी.सी.ए. तथा बी.एचएससी. (रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, फूड एण्ड न्यूट्रिशियन) पाठ्यक्रम संचालित नहीं होने से मान्य, शेष आवेदित पाठ्यक्रम 20 किलोमीटर की परिधि में संचालित होने से अमान्य।
7	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित पाठ्यक्रमों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	अग्रलिखित के लिये प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
	आवेदित पाठ्यक्रमों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं किया जाता है।	अग्रलिखित के लिये प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
	मान्य पाठ्यक्रम	अमान्य पाठ्यक्रम
	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष, तथा बी.एचएससी. प्रथम वर्ष (रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, फूड एण्ड न्यूट्रिशियन)	बी.एससी. रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र (अति.विषय माईकोबॉयोलाजी, बॉयोटेक, गणित, भौतिकशास्त्र कम्प्यूटर साईंस), बी.एससी.रसायन, प्राणीशास्त्र, फूड एण्ड न्यूट्रिशियन

4. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि, संस्था द्वारा प्रवेश के पूर्व प्रसाधन की मूलभूत सुविधाएँ सुनिश्चित की जाय तथा दौनों भवनों (नवीन महाविद्यालय तथा संस्कार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) के परिसर को बाउण्ड्रीवाल से अनिवार्य रूप से पृथक कर लिया जाय अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त माना जायेगा।

5. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

// 3 //

पृ. क्रमांक- 1315/286/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
  - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
  - 4- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
  - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
  - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1297/21-टी.एल./आउशि/सम्बद्धता/17 :: श्री हरिहर शिक्षा समिति बैतूल को सत्र 2009-10 से नवीन अशासकीय ज्ञानोदय महाविद्यालय, भेंसदेही जिला- बैतूल स्थापित करने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30/05/2009 द्वारा किराये के भवन में महाविद्यालय संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

2. सत्र 2009-10 की मार्गदर्शिका की कंडिका 2.2-सी-2 में भवन/भूमि संबंधी प्रावधान निम्नानुसार था :-

-: किराये के भवन में प्रारंभ करने हेतु:-

“किराये का भवन होने पर उसे अधिकतम तीन वर्ष हेतु मान्य किया जावेगा तथा इस सम्पूर्ण अवधि का समिति के नाम का रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (नान जुडिसियल स्टाम्प पेपर अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया किरायानामा मान्य नहीं होगा) तीन सत्रों के पश्चात स्वयं का भवन निर्माण न करने पर समिति को दी गई अनुमति निरस्त की जायेगी। किसी भी स्थिति में तीन सत्रों के पश्चात् किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।”

3. इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04/06/2015 द्वारा मार्गदर्शिका की उक्त कंडिका 2.2-सी-2 का पालन नहीं करने के फलस्वरूप संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने के उपरान्त सामान्य पाठ्यक्रम हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया गया था।

4. संस्था का महाविद्यालय संचालन हेतु नवीन निजी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप अशासकीय ज्ञानोदय महाविद्यालय, भेंसदेही जिला- बैतूल की मान्यता बहाल करने बाबद् अनुरोध किया जानें पर अग्रणी शासकीय ज. ह. महाविद्यालय, बैतूल से महाविद्यालय के प्रस्तावित नवीन भवन, स्थल का भौतिक

---2.

//2//

निरीक्षण कराया गया। संस्था की मान्यता समाप्ति के पूर्व संस्था में 03 पाठ्यक्रम (बी.एससी, बी.सी.ए. तथा बी.ए.) संचालित थे। वर्तमान में प्रचलित मार्गदर्शिका अनुसार 03 पाठ्यक्रमों हेतु भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 7,000 वर्गफीट होना आवश्यक है, नगर परिषद् भैंसदेही जिला बैतूल द्वारा दिनांक 04/06/2016 को जारी भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र अनुसार भूतल पर भवन का निर्मित क्षेत्रफल 2858 वर्गफीट बताया गया। संस्था ने अपने पत्र दिनांक 09/01/2017 द्वारा ठहराव प्रस्ताव सहित यह अनुरोध किया था कि संस्था बी.सी.ए. पाठ्यक्रम का संचालन नहीं करना चाहती है अतः मान्यता बहाल कर दो पाठ्यक्रम बी0ए0 तथा बी0एस0सी0 में प्रवेश की अनुमति दी जाये। भवन के निर्मित क्षेत्रफल के संबंध में संस्था द्वारा यह भी अनुरोध किया गया था कि संस्था द्वारा नव निर्मित भवन के प्रथम तल पर भी अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य भी जारी है, जो शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा, अतः संस्था के द्वारा बी.सी.ए. पाठ्यक्रम का संचालन नहीं करने के प्रस्ताव को मान्य करने पर भी मार्गदर्शिका अनुसार 02 पाठ्यक्रमों हेतु भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 5,000 वर्गफीट होना आवश्यक होने पर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14/02/2017 द्वारा तदनुसार भवन निर्मित कर भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

5. श्री हरिहर शिक्षा समिति, बैतूल के पत्र क्रमांक 163 दिनांक 17/04/2017 द्वारा प्रथम तल पर 2858 वर्गफीट का निर्माण कार्य पूर्ण होने के फलस्वरूप नगर पंचायत भैंसदेही द्वारा जारी भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, तदनुसार संस्था के पास भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 5,176 वर्गफीट हो गया है, जो मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान अनुसार अपेक्षित दो संकाय के संचालन हेतु पर्याप्त है।

6. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2262/346/आउशि/संबद्ध/11 दिनांक 25/06/2011 द्वारा संस्था को उक्त दो संकायों बी0ए0-तृतीय वर्ष (आ.पा., गृहविज्ञान, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र) तथा बी0एस0सी0 तृतीय वर्ष (आ.पा., प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, माईक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी) सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

//3//


7. अतः प्रकरण पर पूर्ण विचारोपरान्त श्री हरिहर शिक्षा समिति बैतूल द्वारा संचालित अशासकीय ज्ञानोदय महाविद्यालय, भेंसदेही जिला- बैतूल की मान्यता को तत्काल प्रभाव से बहाल कर उपरोक्त दो पाठ्यक्रम बी0ए0 तथा बी0एस0सी0 के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र को बहाल किया जाता है एवं सत्र 2017-18 से बी0ए0 तथा बी0एस0सी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिणियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

9 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ.क्रमांक-1298/21-टी.एल./आउशि/सम्बद्धता/17.भोपाल,दिनांक- 30/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1- माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश के निज सहायक, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सम.प्रको, भोपाल।
- 4- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल-नर्मदापुरम् संभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 5- कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0)।
- 6- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय ज. ह. महाविद्यालय, बैतूल(म0प्र0)।।
- 7- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.